न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
12/2022	2022/42	25.02.2022	07.09.2022

उनवान प्रकरण

1 राकेश सिंह पुत्र सन्तु सिंह उम्र 20 साल

2 कौशल सिंह पुत्र सन्तुसिंह उम्र 15 साल
नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता रेखा कंवर पत्नि सन्तुसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण जोहड़ी की ढ़ाणी हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

वादीगण

बनाम

1 सन्तुसिंह पुत्र माल सिंह जाति राजपूत निवासी जोहडी की ढ़ाणी हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

2 उप पजिंयक उपतहसील अजीतगढ जिला सीकर

3 भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

4 राज्य सरकार जरिये जिला कलैक्टर सीकर राजस्थान

——प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

श्री नेकीराम दवात, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री धर्मेन्द्र कुमार गूर्जर, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 12 की ओर

वादपत्र बाबत घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible]55

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.22 12:13:52 IST
Reason: SelfAttested

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खाता नम्बर 19 के भूमि खसरा नम्बर 1710 रकबा

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

0.39 है0. खसरा नम्बर 1716 रकबा 0.37 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.75 है0 तथा भूमि खाता संख्या 291 के भूमि खसरा नम्बर 831 रकबा 0.11 है0 अवस्थित तन् राजस्व ग्राम हाथीदेह पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान है। जिसके राजस्व अभिलेख मे वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सन्तु सिंह का नाम बतौर 1/12 हिस्सा राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार काश्तकार वर्णित हैं। उक्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 सन्तु सिंह संयुक्त रूप से काबिज हैं तथा स्वतंत्र रूप से उपयोग एवं उपभोग में लेते आ रहे है। पिता वादीगण प्रतिवादी सख्या 1 सन्तु सिंह के हिस्सा 1/12 में से वादीगण बतौर 2/3 हिस्से पर संयुक्त रूप से काबिज रहकर उपयोग में लेते आ रहे है। राजस्व ग्राम हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के भूमि खाता संख्या 289 के भूमि खसरा नम्बर 919 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 944 रकबा 0.01 है0, भूमि खसरा नम्बर 945 रकबा 0.76 है0, भूमि खसरा नम्बर 946 रकबा 0.27 है0, भूमि खसरा नम्बर 947 रकबा 0.28 है0, भूमि खसरा नम्बर 978 रकबा 0.60 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.16 हैक्टर स्थित है। जिसके राजस्व अभिलेख में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सन्तुसिंह का नाम बतौर 1/24 हिस्सा राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार काश्तकार वर्णित है। उक्त भूमि पर वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 सन्तुसिंह संयुक्त रूप से काबिज हैं तथा स्वतंत्र रूप से उपयोग एवं उपभोग में लेते आ रहे हैं। पिता वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 सन्तु सिंह के हिस्सा 1/24 में से वादीगण बतौर 2/3 हिस्से पर संयुक्त रूप से काबिज रहकर उपयोग में लेते आ रहे है। राजस्व ग्राम हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के भूमि खाता संख्या 290 के भूमि खसरा नम्बर 1434 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 1685 रकबा रकबा 0.19 है0, भूमि खसरा नम्बर 1709 रकबा 0.21 है0, भूमि खसरा नम्बर 1713 रकबा 0.06 है0, भूमि खसरा नम्बर 1714 रकबा 0.26 है0, भूमि खसरा नम्बर 1715 रकबा 0.04 है0, भूमि खसरा नम्बर 1720 रकबा 0.26 है0, भूमि खसरा नम्बर 1721 रकबा 0.61 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.98 है0 स्थित है। जिसके राजस्व अभिलेख मे वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सन्तु सिंह का नाम बतौर 1/6 हिस्सा राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार काश्तकार वर्णित है। उक्त भूमि पर वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 सन्तु सिंह संयुक्त रूप से काबिज हैं तथा स्वतंत्र रूप से उपयोग एवं उपभोग में लेते आ रहे हैं। पिता वादीगण संख्या 1 सन्तु सिंह के हिस्सा 1/6 में से वादीगण बतौर 2/3 हिस्से पर संयुक्त रूप से काबिज रहकर उपयोग में लेते आ रहे है। राजस्व ग्राम हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के भूमि खाता संख्या 317 के भूमि खसरा नम्बर 1446 रकबा 0.05 है0 स्थित है। जिसके राजस्व अभिलेख में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सन्तु सिंह का नाम बतौर 1/48

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.22 12:13:52 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फर्स्ट क्लास)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हिस्सा राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार काश्तकार वर्णित है। उक्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 सन्तु सिंह के हिस्सा 1/48 में से वादीगण बतौर 2/3 हिस्से पर संयुक्त रूप से काबिज रहकर उपयोग में लेते आ रहे है। वाद पत्र में उक्त वर्णित भूमियों में प्रतिवादी संख्या 1 पिता वादीगण सन्तुसिंह के नाम से उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज है। उक्त वर्णित भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 सन्तु सिंह पैतृक भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व राजस्व अभिलेख में वर्णित अन्य खातेदारान की संयुक्त कब्जाशुदा एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं। वादीगण के दादा मालसिंह पुत्र माधोसिंह है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का पिता है जो अन्य लोगों से मिलकर वादीगण से रंजिश रखता है तथा उक्त पैतृक भूमि में वादीगण के हिस्से सहित अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को खुर्द बुर्द करने हस्तान्तरित करने व मौके पर भौतिक स्वरूप में परिवर्तन करने पर आमादा है तथा वादीगण को अपने विधिसंगत एवं संवैधानिक हक एवं अधिकार की उक्त पैतृक भूमि से वंचित करने पर आमादा है। पिता वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 सन्तु सिंह के वादीगण दो पुत्र सन्तान व वादीगण की माता श्रीमती रेखा कंवर जीवित हैं। उक्त वर्णित भूमियों में पिता वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 सन्तु सिंह के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्सा में वादीगण बतौर 2/3 हिस्सा पर प्रारम्भ से ही भौतिक रूप से संयुक्त रूप से काबिज है तथा अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 सन्तु सिंह के साथ संयुक्त रूप से काबिज रहकर उपयोग एंव उपभोग एंव उपयोग में लेते आ रहे है। दिनांक 20.02.2022 को वादीगण अपने हिस्सा एव भौतिक रूप से संयुक्त रूप से कब्जा काश्त की उक्त वर्णित भूमियों पर कृषि कार्य कर रहे थे। इसी दौरान प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वादीगण को ऐलानिया धमकी दी गई कि वादीगण को अपने हिस्सा एवं भौतिक रूप से कब्जाशुदा उक्त वर्णित भूमियों से अन्य से मिलकर वादीगण को जबरन बेदखल किया जावेगा तथा अन्य का जबरन कब्जा करवाया जावेगा। जिस पर वादीगण के द्वारा पारिवारिक सदस्यो व रिस्तेदारों के जरिये प्रतिवादी संख्या 1 को समझाया गया तथा बतौर वारीसान निकटतम रक्त सम्बंधो का हवाला देकर गहनता पूर्वक समझाये जाने एवं राजस्व अभिलेख में स्वंय प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज होने का नाजायज ल[illegible] भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करने, विक्रय अथवा हस्तान्तरित नहीं करने [illegible] पर किसी अन्य का भौतिक कब्जा नहीं करवाये जाने के लिए समझाये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 सन्तु सिंह मान गया तथा उक्त वर्णित पैतृक भूमि पर वादीगण के हिस्से को किसी दीगर व्यक्ति अथवा संस्था को विक्रय अथवा हस्तान्तरित नहीं करने तथा मौके पर भूमि अथवा भूमि के विशेष भू-भाग पर किसी अन्य को भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द नहीं करने हेतु सहमत हो गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.22 12:13:52 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
... कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
... (सीकर)

तथा स्वंय के हिस्से की भूमियो में से बतौर 2/3 हिस्सा की भूमि की खातेदारी की घोषणा वादीगण के नाम विधिवत रूप से राजस्व अभिलेख मे दर्ज करवाने हेतु सहमत हो गया। दिनांक 20.02.2022 को वादीगण वादग्रस्त उक्त वर्णित भूमियों में अपने हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य कर रहे थे। इसी दौरान प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य की ओर से संयुक्त रूप से इस आशय की ऐलानियां धमकी दी गई कि वादग्रस्त पैतृक भूमि मे वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्से की उपरोक्त भूमियों मे से वादीगण के 2/3 हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल किया जावेगा तथा राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाकर भूमि के विशेष भू भाग को विक्रय अथवा हस्तान्तरित किसी दीगर व्यक्ति को किया जावेगा। वादीगण को अपने विधिक एवं वैधानिक अधिकारों से वचिंत किया जावेगा। वादीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमि को विधिवत रूप से विभाजित करवाये जाने एवं राजस्व अभिलेख मे पृथक से खसरा नम्बर अकिंत करवाये जाने व पृथक से लगान कायम किये तथा मौके पर विभाजन के अनुरूप सींव डोल कायम किये जाने हेतु तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्से की भूमियों में से बतौर 2/3 हिस्सा की भूमि बाबत वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करवाये जाने व इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार नाम दर्ज करवाये जाने हेतु आग्रह किया गया तो प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा साफ इन्कार कर दिया गया। मौके पर भूमि के विशेष भू भाग पर भारी मात्रा में निर्माण करने की ऐलानियां धमकी देते हुये भूमाफियाओं से मिलकर तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 से साज कर भूमियों का विक्रय लेख तस्दीक करवाया जाकर भूमियों को खुर्द बुर्द करने. कृषि भूमियों को अकृषि भूमि में परिवर्तीत करने के दुराशय से निर्माण कार्य करने की ऐलानियां धमकी दी गई। जिस का किसी प्रकार का कोई अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 को नहीं है। यही वाद कारण वादीगण के हक में विरूद्व प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में पैदा हुआ। इस वजह से वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 सन्तु सिंह की पैतृक भूमियां है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण संख्या 1 व 3 का नैसर्गिक पिता है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज उक्त भूमियों में बतौर 2/3 हिस्सा वादीगण का हक एवं स्वैधानिक अधिकार उक्त आशय की घोषणा करवाई जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्से की भूमियों के राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम बतौर 2/3 हिस्सा दर्ज करवाये जाने का पूर्ण अधिकार वादीगण को उपलब्ध है। इसलिए वादग्रस्त आराजी भूमियों में वादीगण को खातेदारी अधिकारों

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.22 12:13:52 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

की घोषणा करवाने हेतु उक्त वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में राजीनामा न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराया है तथा प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 की सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादीगण के पक्ष में सहमति प्रदान कर दिये जाने से वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2069–2072, 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1710 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 1716 रकबा 0.37 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.75 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 831 रकबा 0.11 हैक्टर, व भूमि खसरा नम्बर 919 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 944 रकबा 0.01 है0, भूमि खसरा नम्बर 945 रकबा 0.76 है0, भूमि खसरा नम्बर 946 रकबा 0.27 है0, भूमि खसरा नम्बर 947 रकबा 0.28 है0, भूमि खसरा नम्बर 978 रकबा 0.60 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.16 हैक्टर तथा भूमि खसरा नम्बर 1404 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 1685 रकबा रकबा 0.19 है0, भूमि खसरा नम्बर 1709 रकबा 0.21 है0, भूमि खसरा नम्बर 1713 रकबा 0.06 है0, भूमि खसरा नम्बर 1714 रकबा 0.26 है0, भूमि खसरा नम्बर 1715 रकबा 0.04 है0, भूमि खसरा नम्बर 1720 रकबा 0.26 है0, भूमि खसरा नम्बर 1721 रकबा 0.61 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.98 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 14[illegible] रकबा 0.05 हैक्टर तन् ग्राम हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के दादा/पिता मालसिंह पुत्र माधोसिंह के नाम एंव उनकी मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 सन्तुसिंह पुत्र मालसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉं पक्षकारान् की पैत्रृक भूमियॉं होना सिद्ध होता है। जिस बाबत प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.22 12:13:52 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
नायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया है। प्रतिवादी पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादीगण व प्रतिवादी पक्षकारान् के कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घोषणा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में उक्त वादग्रस्त आराजीयात काश्तकारी कृषि भूमियों में वादीगण को 2/3 हिस्सा का बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर खातेदारी इसी अनुसार दुरूस्त की जाकर वादीगण द्वारा पेश वादपत्र बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1710 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 1716 रकबा 0.37 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.75 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 831 रकबा 0.11 हैक्टर, व भूमि खसरा नम्बर 919 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 944 रकबा 0.01 है0, भूमि खसरा नम्बर 945 रकबा 0.76 है0, भूमि खसरा नम्बर 946 रकबा 0. 27 है0, भूमि खसरा नम्बर 947 रकबा 0.28 है0, भूमि खसरा नम्बर 978 रकबा 0.60 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.16 हैक्टर तथा भूमि खसरा नम्बर 1434 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 1685 रकबा रकबा 0.19 है0, भूमि खसरा नम्बर 1709 रकबा 0.21 है0, भूमि खसरा नम्बर 1713 रकबा 0.06 है0, भूमि खसरा नम्बर 1714 रकबा 0.26 है0, भूमि खसरा नम्बर 1715 रकबा 0.04 है0, भूमि खसरा नम्बर 1720 रकबा 0.26 है0, भूमि खसरा नम्बर 1721 रकबा 0.61 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.98 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 1446 रकबा 0. 05 हैक्टर तन् ग्राम हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से की खाते की भूमियों में से वादीगण को 2/3 हिस्सा का बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्सा से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.22 12:13:52 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
खण्ड कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्सा व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में तिथमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह) 07/09/22
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 07.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह) 07/09/22
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.22 12:13:52 IST
Reason: SelfAttested